<u>डिस्कलेमर</u>

अंतरिम आदेश संख्या 19/2021-22 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 19/2021-22

ऐरा भवन,
प्रशासनिक परिसर,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110003.

जारी करने की तारीख : 22 सितम्बर, 2021

हवाईअड्डा प्रचालक एएआई द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 24.03.2021 के आदेश संख्या 65/2020-21 के मामले में–तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मौजूदा टैरिफ 30.09.2021 के बाद भी वसूल करने के लिए अंतरिम व्यवस्था।

यह नीचे तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित हवाईअड्डों के संबंध में मौजूदा टैरिफ 30.09.2021 के बाद भी वसूल करने की अंतरिम व्यवस्था को बढ़ाने के संबंध में है:-

क्र. सं.	हवाईअड्डा प्रचालक का नाम	हवाईअड्डे का नाम
1.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)	जयपुर
2.		गुवाहाटी
3.		त्रिवेन्द्रम

(i) ऊपर उल्लिखित हवाईअड्डों के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित की जानी है। यह पता लगा है कि इन तीनों हवाईअड्डों पर वाणिज्यिक प्रचालन एएआई द्वारा शीघ्र ही मैसर्स अडानी को सौंपे जाने हैं। इस कारण से संभावना है कि नए प्रचालक द्वारा इन हवाईअड्डों के लिए एमवाईटीपी/एटीपी प्रस्तुत करने में और समय लगेगा।

(ii) यह ध्यान में रखते हुए कि इस प्रक्रिया में अधिक समय लगेगा प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि 30.09.2021 को लागू टैरिफ 01.10.2021 से 31.03.2022 तक छ: (6) माह की अवधि या तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जा सकती है।

आदेश

उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :-

(i) **हवाईअड्डा प्रचालक** को 30.09.2021 को लागू मौजूदा टैरिफ की वसूली अंतरिम आधार पर 01.10.2021 से 31.03.2022 तक अगले छ: (6) माह की अवधि या उनकी संबंधित नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित होने तक, जो भी पहले हो, करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) हवाईअड्डा प्रचालक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

(i) अध्यक्ष,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली **-110003.**

प्रतिलिपि:

(i) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली -110003

(ii) नागर विमानन महानिदेशालय, एआईसी जारी करने के लिए